राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–6353/2022

निहाल सिंह मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, वेर, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दपुरा, वेर, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.07.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम शिशवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

It is, therefore, most respectfully prayed to your honour may kindly be allowed this appeal and

1. By an appropriate order or direction the impugned letter/communication dated 25/09/2019 may kindly be declared to be illegal, arbitrary, unjustified and unconstitutional and same may kindly be quashed and set aside and direct. Consequently, the respondent be directed to given benefit of grade pay of 4800/- to appellant from 01/07/2013 instead of grade pay 4200 as per order dated 01/03/2018 and pursuant to correct fixation the recovery so made along with arrear bay paid to the appellant carrying 18 % interest.
2. That because of completion of 27 years in service on dated 01/07/2019 direct to give benefits of the selected grade pay/ACP 5400 from the date 01.07.2019 to appellant and arrears pursuant to correct fixation of granting grade pay of 5400 be paid to the appellant carrying 18 % interest to remove the differences arises in grade pay of persons appointed on the same date and on the same post.
3. Any other appropriate order or direction which the Hon'ble Tribunal deems just and proper may also be passed in favour of the appellant.

2. इस अपील में अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी/द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ देकर अपीलार्थी की पे–ग्रेड 4800 पर दिनांक 01.07.2013 से से लाभ दिया गया

था। अपीलार्थी की ग्रेड–पे 4800 के स्थान पर 4200 कर संशोधित आदेश दिनांक 25.09.2019 पारित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 25.09.2019 को इस अपील में चुनोती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में अपील संख्या 1004/2021 निशि चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व उसके साथ निर्णित कुल 65 अन्य मामले अधिकरण के द्वारा दिनांक 12.08.2021 को निर्णित किये गये थे, अपीलार्थी के समान कार्मिकों का ग्रेड–पे में संशोधन किया जाना उचित नहीं माना था और कोई वसूली नहीं किये जाने के आदेश पारित किये थे।

3. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से यह तर्क दिया है कि ग्रेड–पे सही रूप से संशोधित की गई है। क्योकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गयी थी। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। उक्त अध्यापकों को 9, 18 एवं 27 वर्षीय एपीसी प्रथम नियुक्ति पर प्रयोगशाला सहायक की एन्ट्री ग्रेड–पे 2800 के आधार पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। इस कारण से अपीलार्थी को भी द्वितीय चयनित वेतनमान 4200 ग्रेड–पे पर फिक्सेशन किया गया है, जो नियमानुसार सही है।
4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
5. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई जिसकी वेतन श्रृंखला 950–1680 अध्यापक तृतीय श्रेणी के समकक्ष थी। राज्य सरकार निर्णय दिनांक 20.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी की ग्रेड पे कमशः 4200. 4800 एवं 5400 रुपये हैं। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं। अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी में समायोजित किये गये है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
6. अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25.09.2019 को अपास्त

किया जाता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि आलोच्य आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी से कोई राशि वसूल नहीं की जावे। यदि अपीलार्थी से कोई राशि वसूल की गयी है तो उस राशि को इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है अपीलार्थी को पूर्व में स्वीकृत एसीपी/चयनित वेतनमान प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किये जाए।

7. इस आदेश की पालना प्रत्यर्थी विभाग तीन माह में करेगा। आदेश की पालना तीन माह में नहीं किये जाने पर अपीलार्थी से वसूल की गयी राशि/वेतन से कटौती की राशि को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)